प्रेषक,

अध्यक्ष
नीलामी समिति/
जनपद न्यायालय अमरोहा।

सेवा में,

माननीय ज़िला न्यायाधीश
अमरोहा।

विषय **ज़िला न्यायालय अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2025–26 के शेष माह वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु शेष जूस स्टॉल, स्टेशनरी स्टॉल, भोजनालय तथा साईकिल स्टेण्ड की नीलामी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान निवेदन इस प्रकार है कि माननीय ज़िला न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 03.07.2025 के अनुपालन में मेरे विश्राम कक्ष में ज़िला न्यायालय अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु **शेष** जूस स्टॉल, स्टेशनरी स्टॉल, **भोजनालय** तथा साईकिल स्टेण्ड की नीलामी समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में समिति के सदस्य श्री ईश्वर सिंह, अपर ज़िला न्यायाधीश /(**एफ टी सी प्रथम**) अमरोहा तथा श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, अपर ज़िला न्यायाधीश/पोक्सो द्वितीय उपस्थित आये नीलामी समिति द्वारा ज़िला न्यायालय अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जूस स्टॉल, स्टेशनरी स्टॉल, **भोजनालय** तथा साईकिल स्टेण्ड की नीलामी के सम्बन्ध में विचार विर्मश किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 के शेष माह हेतु जूस स्टॉल, स्टेशनरी स्टॉल, **भोजनालय** तथा साईकिल स्टेण्ड की नीलामी के परिपत्र संख्या 797/एडमिन बी–1दिनांकित 15.03.1994 तथा शासनादेश संख्या 562/उन्नीस–2–2007–1007/74 टी.सी. दिनांकित 04.07.2007 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में समुचित प्रचार प्रसार के उपरांत सील्ड निविदा/टेण्डर के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव हैः–
उक्त दुकानों/स्टालो की नीलामी हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाए। मोहरबंद निविदा आमंत्रित करनें की अंतिम तिथि **21.07.2025** को समय 02:00 बजे तक रहेगी। सील्ड निविदाए केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग में उपनाज़िर अपने पास सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगें तथा नियत दिनांक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। उक्त दुकानों/स्टालो की नीलामी की नियमों एवं शर्तो पर विचार विर्मश किया गयाः–

नीलामी की शर्ते व नियम निम्न प्रकार होंगेः.

1. ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 31 मार्च 2026 तक होगी।
2. दिनांक **21.07.2025** को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त सभी निविदायें माननीय ज़िला न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन शाम 04:00 बजे खोली जायेगी।
3. न्यायालय परिसर में नशीली एवं अन्य अवैध वस्तुऐं नही बेची जायेंगी।
4. ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाए एवं स्टॉल सम्बन्धी अस्थाई व्यवस्था स्वंय करेगें।
5. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर माननीय ज़िला न्यायाधीश महोदय का **निर्णय** अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/– रूपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित होने वालें आदेशों का पालन करना होगा।
7. ठेकेदार को ऐसे दो व्यक्तियों को ज़मानतदार के रूप में नाम व पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा कि धनराशि जमा न करनें पर ज़मानतदारों से धनराशि वसूल की जायेगी।
8. यदि एक बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टॉल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टॉल के लिए अलग अलग धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नही मिलता है तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके कि धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त 25 प्रतिशत प्रथम किस्त की धनराशि उसी दिवस जमा नही की गयी तो उसका ठेका निरस्त कर ठेका दूसरे बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जायेगा। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार ठेके की रकम के अनुपात में अचल सम्पत्ति के कागज़ात केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग में जमा करेगा।
10. किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने पर निरस्त नही की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम किस्त जमा करनें के उपरांत ठेका चला नही पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर धनराशि ज़ब्त कर ली जायेगी।

11. ठेका अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2026 को ठेकेदार अपना सामान स्वयं उठायेगा एवं भूमि का कब्ज़ा प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग ज़िला न्यायालय अमरोहा को उसी अवस्था में देगा जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।

12. सफल बोली दाता की धरोहर धनराशि चतुर्थ त्रैमास की किश्त में समायोजित की जायेगी।

13. आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति के व्यक्तियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर माननीय ज़िला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

14. प्लास्टिक, पॉलिथीन, धूम्रपान की वस्तुए, ज्वलनशील पदार्थ एवं नशीले पदार्थ न्यायालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगें।

15. प्रत्येक वस्तु की मूल्य–सूची ठेकेदार को केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग ज़िला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी। सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल एवं अचल सम्पत्ति के दस्तावेज़ की छाया प्रति केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग ज़िला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी।

16. खाद्य पदार्थ की वस्तुयें मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जॉच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकती है। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धनरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को रहेगा।

17. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/AA दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थ के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थो के मूल्य से अधिक दर पर विक्रय नही करेगा।

18. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपर संख्या 14 दिनांकित 08.02.1956 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते है एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते है।

अतः नीलामी समिति का मत है कि उपरोक्त नियम एवं शर्तो के अतिरिक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय अमरोहा की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है तथा जनसूचनाधिकारी अमरोहा को शासनादेश संख्या 527/19.02.2077–1007 टी0सी0 दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचना पट पर चस्पा करायी जा सकती है। नीलामी की सूचना समस्त नगर पालिकाओं, ज़िलाधिकारी महोदय के न्यायालय नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करायी जा सकती है।

(संजय चौधरी)
अध्यक्ष
नीलामी समिति ज़िला न्यायालय अमरोहा